





## वाराणसी में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत, उम्र की बाध्यता नहीं

(आधुनिक समाचार सेवा) वाराणसी। आर्कियोलॉजिकल एंड साइटिकल स्टडी ऑफ राम सेतु नामक इस सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि एक सप्ताह होगी। कोर्स में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उम्र के लोग इस कोर्स का अंग

किया है। शहर दक्षिणी ओर विद्यायक ने इस कोर्स का शुभारंभ किया। रामसेतु वें पुरातात्त्विक खोजीय क्लॉनिंग, आधिकारिक एवं सकारी साक्ष्यों को एकत्रित करने कोर्स को तैयार किया गया है। विद्यायक डॉ. नीलकंठ तिवारी



बन सकते हैं। अगर आपको रामसेतु पर पुरातात्त्विक एवं वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो इसके लिए एक सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई है।

कोर्स में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उम्र के लोग इस कोर्स का अंग बन सकते हैं।

### वाराणसी आएगी भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन

(आधुनिक समाचार सेवा) वाराणसी। सारनाथ में ठहरेंगे सभी तीर्थयात्री भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन अपराह्न साढ़े तीन बजे वाराणसी (कैंट) रेलवे स्टेशन पर

ने कहा कि रामायण आज के युग की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका एकमेव समाधार चरित्र का अनुरक्षण ही है। विश्वधर की प्राचीन रामायण, रामकथा से सबूतित वांछित यह में इस राम सेतु के निर्माण



पहुंचेंगी। यहां से दस मिनट बाद ट्रेन बनारस स्टेशन के लिए रवाना होगी। जहां यात्रियों को सारनाथ के लिए ले जाया जाएगा। बैंगलुरु से काशी यात्रा पर आ रही भारत

दिन तैयारी चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर की सुबह यात्रा बजकर सात मिनट पर इस ट्रेन के रवाना किया था। जहां से सूर्यन-पूजन के लिए ले जाया जाएगा। बैंगलुरु के लिए जाएंगे।

**पुलिस की वर्दी में कानपुर से कार चुरा कर भाग बदमाश**

(आधुनिक समाचार सेवा) गोरखपुर। बस्ती जिला में हुआ गिरफ्तार सीओ ने बताया कि चार कार नंबर प्लेट बदल-बदल कर गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पहले गाड़ी पर यूपी32 एके 7797 नंबर लगाया और बाद इसे बदलकर यूपी 32 एके 7737 कर दिया था। यह चोरी की गाड़ियों को नेपाल में चौकड़ी टोल लाजा छावनी पर लगे

कर भाग पुलिस की वर्दी पहने चोरों को जिले की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। नौ नंबर की सुबह कानपुर से चोरी हुई कार शनिवार को फोरेन के रास्ते अयोध्या से गोरखपुर की तरफ तेजी से निकलने की सूचना पर अलंद हुई बस्ती पुलिस ने हाइवे पर जगह-जगह बैरिकेंडिंग करा दी। वाहन संभंत दोनों आरोपियों को पुलिस हरीया थाने के लिए आई। पुलिस

## खाद के लिए चिल्लाते रहे किसान गोदाम बंद कर सचिव फरार

(आधुनिक समाचार सेवा) सिद्धार्थनगर जिले में सचिव ने चहेतूं को खाद देकर गोदाम में ताला बंद कर दिया और सचिव वहां से भाग गए।



लैंकिन उन्हें खाद नहीं मिल पायी है। किसानों का कहना है कि आगर समय से खाद नहीं मिली तो खेती किसानों का कार्य प्रभावित होगा। इसका सीधा असर पैदावार पर तथ्य एवं पौष्टि एवं पौराणिक आज्ञानों में श्रीराम सेतु - रामसेतु - एक वैज्ञानिक विश्लेषण - रक्तदुर्पुराण, श्रीमद्भगवत्, वाल्मीकि रामायण के जीवंत प्रततत्व (भारत, नेपाल, श्रीलंका) दाक्षिणात्य रामकाव्य और रामसेतु असमिया राम साहित्य में संतु धनं धनं - रामसेतु - सत्य और तथ्य - साहित्य एवं पौराणिक आज्ञानों में श्रीराम सेतु - रामसेतु - एक वैज्ञानिक विश्लेषण - रक्तदुर्पुराण, श्रीमद्भगवत्, वाल्मीकि रामायण

का नहीं दिला देता, यहां से नहीं जाएंगे। सूचना पर पहुंची करकरहा चौकी के पुलिस कमिंगों ने किसानों को मनाया। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता अंबरीश यादव ने कहा कि समिति पर खाद रहते हुए सचिव किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं तो गलत है। इसकी जांच कराई जाएगी।

### 17 दिन का कठिन संकल्प करेंगे भक्त धान की बालियों से सजा माता का दरबार

(आधुनिक समाचार सेवा) वाराणसी। मां अच्छपूर्णा का सत्रह दिवसीय महाव्रत आज से शुरू हो गया है। ब्रत के प्रथम दिन प्रातः मंदिर में दर्हन तक व्रत के महंत शंकर पुरी ने 17



गांठ के धारों व्रतियों को प्रदान किए। व्रत के प्रथम दिन प्रातः मंदिर के सुबह से माता के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए ग्राहण करते हैं। 17 दिनों तक अन्न का सेवन वर्जित होता है।

केवल एक वर्त बिना नमक का फलावर का विवाह जाता है। अच्छपूर्णा के महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से ही करार बद्ध होते हैं। मां अच्छपूर्णा का दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।

महाव्रत की शुरुआत करते हैं। बांसफाटक से गोदावलिया तक

श्रद्धालु सुबह से सजा माता के मंदिर में लौटे हुए धारण करते हैं।

प्रातः मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता अच्छपूर्णा के भक्त 17 गांठ वाला धारा धारण कर महाव्रत की शुरुआत करते हैं।





# सम्पादकीय

फर्राटा भरती गाड़ियां  
सड़क विनारे खड़े  
आदमी और पैदल चलने  
वालों की तो शामत आई

फर्राटा भरती गाड़ियां सड़क किनारे खड़े आदमी की चिंता नहीं करतीं। पैदल आदमी की जिंदगी चमकीली गाड़ियों की कृपा पर निर्भर है। उसने सड़क पार कर ली, तो समझो कि भवसागर पार कर लिया। वैसे भी नई सदी की सँइकें पैदल आदमी के लिए नहीं बनी हैं। साथी, शहर स्मार्ट हो रहे हैं। सँइके चौड़ी की जा रही हैं। पैड काटे जा रहे हैं। हवाई अड्डे तक का रास्ता साफ-सुधरा और चमकीला बनाया जा रहा है। फ्लाई ओवर कहे जाने वाले पुलों का तेजी से निर्माण हो रहा है। सब तरफ गड्ढे खोदे जा रहे हैं। फिर इन गड्ढों को भरे जाने की मुहिम चलेगी। लाइट लग रही हैं। वे अभी जल नहीं रही हैं। लेकिन देखना, एक दिन शहर दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा। सँइकों के दोनों तरफ बने फुटपाथों को तेजी से पिटाया जा रहा है। फरमान जारी कर दिया गया है कि स्मार्ट शहरों-नगरों में अब कोई पैदल नहीं चलेगा। अपने दो पैरों से कदम-कदम रास्ता नापने वाले लोगों को अब अपराधी करार दिया जाएगा। कोई साइकिलधारी भी अब इन सँइकों पर दिखाई नहीं देगा। सबके पास अपनी महंगी, चमचमाती और फर्राटा भरती गाड़ियां होंगी। उन गाड़ियों के भीतर स्मार्ट लोग होंगे, जो पैदल या साइकिल से चलने वालों को हिकारत की नजरों से देखेंगे। स्मार्ट होना आदमी और आदमी में भेद करना सिखाता है। युग पीढ़ी को इस मामले में ट्रैट यानी प्रशिक्षित किया जा रहा है। सँइक के नियां पैदल चलता आदमी बेचारा या फिर जानवर सरीखा है, जिसे किसी भी क्षण दुकारा या दूर हांका जा सकता है। पैदल चलने वालों से शहर की छवि छवि खराब होती है। ऐसे लोग शहरों के लिए प्रदूषण की मानिद हैं। वे उस पार जाने की प्रतीक्षा में सँइक किनारे खड़े होकर फर्राटा भरती गाड़ियों के सुगम आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। नई व्यवस्था में स्मार्ट मोटर गाड़ी से दबने या कुचल जाने का दाषि अब पैदल चलने वाला आदमी ही माना जाएगा। उसके पैदल चलने के अधिकार को अब निरस्त कर दिया गया है। पैदल चलता आदमी हर समय तनावग्रस्त रहता है, जबकि गाड़ी के भीतर बैठा स्मार्ट आदमी सब तरह के टेंशन (तनाव) से मुक्त होता है। फर्राटा भरती गाड़ियां सँइक के किनारे खड़े आदमी की चिंता नहीं करतीं। पैदल चलते आदमी की जिंदगी चमकीली गाड़ियों की कृपा पर निर्भर है। उसने सँइक पार कर ली, तो समझो कि भवसागर पार कर लिया। वैसे भी नई सदी की सँइकें पैदल आदमी के लिए नहीं बनी हैं। पैदल चलता आदमी फ़रसतिया या फिर पूरी तरह निठला होता है। उसके पास कभी कोई जरूरी काम नहीं होता। अगर जरूरी काम होता, तब क्या वह पैदल चलकर वक्त जाया करता ऐसा आदमी समय की अहमियत नहीं समझता। उसका दो पैरों पर घिस्टना फिरूर है। ऐसा आदमी किसी भी समय वाहन की चपेट में आने के लिए उपलब्ध होता है। पैदल आदमी स्मार्ट शहर के नूरानी चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह है। स्मार्ट सिटी में उसकी हाजिरी संभीन अपराध की तरह है। कवि नागार्जुन ने बहुत पहले कहा था, पैदल चलने वालों की तो शामत आई। आप पैदल चलने वालों में शुराह हैं, तो यह आपका दोष है, सरकार का नहीं। अगर आप पैदल चलते हैं और बरसात में चुपचाप सँइक किनारे से गुजर रहे हैं, तब अचानक तीव्र गति से कोई स्कार्पियो या मर्सिडीज आपके पास से गुजरेगी और उसमें बैठी एक खब्बसूत महिला तथा उसकी गोद में झब्बे बालों वाला स्मार्ट डॉगी आपके भीतर कुत्ता होने का तेजी से एहसास जगा देगा। एकाएक आप उस ऊंची नस्ल वाले कुत्ते से बहुत निचे हो जाएंगे। स्मार्ट गाड़ी उसी क्षण सँइक के गड्ढे में भरा पानी तेजी से आपके ऊपर उलीच देगी और आप ठांगे से रह जाएंगे। उस वक्त आप गंडे पानी से नहीं, बल्कि आप आदमी होने की कोपत से सराबोर होंगे। एयरकंटीशंड (वातानुकूलित) गाड़ियां आपकी और आपके मरने की चिंता नहीं करेंगी। उसके लिए आप आदमी नहीं, भुनगे हैं। आपको टक्कर मारकर अगर उसने हवाई उड़ान भर दी, तो आप सिवा देखते रहने या चिल्लाने के और कर भी क्या सकते हैं पैदल चलते आदमी की तरफ गाड़ी में बैठे आदमी का ध्यान तभी जाता है, जब किसी मोड़ पर उसे रास्ता पूछना होता है और फिर उसे हिकारत से देखता हुआ वह अगे बढ़ जाता है।

## जापान का सिने-इतिहास

पाचास के दशक में जापान में तेजी से एनीमेशन फिल्में बननी प्रारंभ हुईं। वहाँ साठ के दशक में जापान की तीन फ़िल्मों ने दुनिया में धूम मचा दी, 'रासोमोन', 'सेवेन समुराई' तथा 'ठोक्यो स्टोरी'। आज भी सर्वोत्तम फ़िल्मों में गिनी जाती हैं। जापानी सिनेमा के दिना सिने-इतिहास की कल्पना नहीं हो सकती है। जापान के सिने-निर्देशक अकिरा कुरोसावा के बगैर सिनेमा की बात ही असंभव है। धीमी गति से चलने वाले जापानी सिनेमा ने एशियाई सिनेमा को खूब प्रभावित किया है। विश्व सिनेमा पर भी इसका प्रभाव रहा है। कई अमेरिकी निर्देशक भी अकिरा कुरोसावा से प्रभावित रहे हैं। शुरू से जापान में कई तरह का सिनेमा बनता रहा है। यहाँ के सिनेमा को एनीमेशन (एनीमे), भी फ़िल्में बनी हैं जिन्हें 'याक़ज़ा' कहा जाता है। जापान का सिने-इतिहास देखें तो वहाँ हमें सबसे पहले 1899 में बनी मूवैट डॉक्यूमेंट्री 'गेइशा नो तेओडोरी' प्राप्त होती है। जापान का पहला सिने-अभिनेता मैत्सुनोसुकी ओने काबूकी के मंच से आया था और उसने 1909-1926 के बीच करीब 1000 शॉर्ट फ़िल्मों में काम किया। उसने अधिकतर निर्देशक शोज़ो मैकीने के साथ काम किया और पीरियड फ़िल्में बनाई। इस काल की बनी फ़िल्म 'द लाइफ ऑफ ओहारु' की चर्चा आज भी होती है। इन मुक फ़िल्मों के प्रदर्शन के समय थियेटर में एक कथावाचक होता था, जो नाटकीय तरीके से कहानी पढ़ता जाता और संग में संगीत चलता



समुराई और तलवारबाजी या पीरियड (जिदाइगेकी), दानव जैसे गोजिला, इंगिलिश में गोड़िज़ला (कैंचु) तथा पोन्ट्रोग्राफ़ी (पिंक) फ़िल्म में बांटा जा सकता है। साथ ही वहाँ 'द रिंग', 'बैटल रॉयल' जैसी हॉरर फ़िल्में भी बनती रही हैं। वहाँ की सॉफ्ट पोर्न फ़िल्में बैहूदी एवं अश्लील न होकर कलात्मक तथा सामाजिक होती हैं। इन श्रेणियों के अलावा जापान में लुटेरों पर रही थीं लेकिन हँइनोसुके गोशो की 1931 में बनी फ़िल्म 'द नेबर' स वाइक एंड माइन' जापान की पहली सवाक फ़िल्म थी। 'सिस्टर्स ऑफ़ द जिओन', 'ओसाका एलगी', 'द स्टोरी ऑफ़ द लेट क्रिस्तनम', 'ह्युमेनिटी एंड पेरपर बैलून' इस काल की प्रमुख फ़िल्में हैं। 'ह्युमेनिटी एंड पेरपर बैलून' के निर्देशक सडाओ यामानाका इस काल के प्रमुख निर्देशक माने जाते हैं।

सभी गरीब भाग्यशाली नहीं हैं, आरक्षण की नई व्यवस्था से आर्थिक न्याय को मिलेगी गति

की नई को गति एसटी को इस का (जो 81.5 % से भी र न्याय कॉलम ननीति, आ और गारें के करने का काम न्यायाधीशों का है, जिनका राजनीति से काई लेनादेना नहीं। शासकों को न्यायाधीशों से डरना ही चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों को शासकों से नहीं डरना चाहिए। कानून और राजनीति अगर टकराएं, तो उसका नतीजा ही इस बारे में ठीक-ठीक बता सकता है कि कोई देश कानून से शासित होता है या नहीं। मिलन बिंदु पर विगत सात नवंबर को एक एनजीओ जनहित अभियान पर कहूंगा। बुनियादी मध्ये शिक्षा संस्थानों और सरकारी रोजगार में आज कई तरह के आरक्षण हैं। ये आरक्षण 'सामाजिक और अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों' के लिए यानी अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और दूसरे पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए हैं। इन वर्गों के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के ऐतिहासिक और अकाट्य कारण हैं। आरक्षण को

थीं। जिसे कि क्या ये गरीब सामाजिक और शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं, जिसे कि संविधान ने आरक्षण का लाभ देने की एकमात्र कसौटी माना है? आर्थिक न्याय के लक्ष्य के लिए गरीबों को आरक्षण देना क्या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? फिर चूंकि अदालत ने यह तय कर रखा है कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे में, आर्थिक रूप से गरीबों के लिए 10 फीसदी का थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई श्रेणी बनाने से अगर 50 फीसदी आरक्षण की सीलिंग का उल्लंघन होता है, तो वह असांविधानिक नहीं है। वे सभी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के फैसले से सहमत हुए और इस पर भी कि ईडलयूएस आरक्षण 10 फीसदी होगा। फैसले के इस अंश की आलोचना ज्यादा नहीं हुई। जिस मुद्दे ने निर्णय को विभाजित किया, वह यह था कि इस आरक्षण सिन्हो कमीशन (जुलाई, 2010) का हवाला दिया है, जिसका निष्कर्ष था कि 31.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं। इनमें से अनुसूचित जाति की आबादी 7.74 करोड़, अनुसूचित जनजाति की आबादी 4.25करोड़ और अन्य पिछड़ वर्ग की आबादी 13.86 करोड़ थी। यह कुल मिलाकर 25.85 करोड़ थी, जो बीपीएल आबादी का 81.5 फीसदी थी। तब से बीपीएल आबादी की आबादी में कोई खास

A close-up photograph showing a person's hands holding an open, empty dark blue leather wallet. The person is wearing a blue button-down shirt. The background is blurred, suggesting an outdoor setting.

मिलन बढ़ू पर हा म इस बार म  
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि  
समकालीन भारत में सामाजिक  
न्याय क्या है और उसके आगे का  
रास्ता क्या है। मुझे इस बारे में  
भी जानकारी है कि भारतीय  
समाज में कितनी असमानता है  
और समाज में समानता लाने के  
लिए कौन-कौन से सौ कदम उठाए  
जाने की जरूरत है। अगर हम  
सामाजिक न्याय और समानता की  
बात करें, तो कभी सामाजिक  
न्याय बाधित होता है, तो कभी  
समानता का उद्देश्य पूरा नहीं  
होता। कानून विधानसभाओं में  
बनते हैं, जहां राजनेता ही होते  
हैं। कानून को नियंत्रित और लागू  
सवाच्च न्यायालय का फसला  
इसका सटीक उदाहरण है कि  
कानून, राजनीति, सामाजिक न्याय  
और समानता के विचार जब एक  
साथ टकराते हैं, तो कैसी दुविधा  
उपस्थित होती है। शीर्ष अदालत  
का फेसला उन तमाम याचिकाओं  
की सुनवाई के बाद आया था, जिनमें  
संविधान के 103वें संशोधन-या  
ईडल्यूएस आरक्षण मामले को  
चुनौती दी गई थी। ईडल्यूएस का  
मतलब है आर्थिक रूप से कमज़ोर  
वर्ग। यहां में उन्हें गरीब ही कहूँगा।  
मैं इस कॉलम में अदालत के फेसले  
पर टिप्पणी करने के बजाय मुद्दों  
पर बात करूँगा और पाठकों से  
अपना पक्ष तय करने के लिए

आरक्षण क्या 50 प्रतिशत का सामा का उल्लंघन नहीं होगा 'बुनियादी ढांचे' के सिद्धांत और 'आरक्षण पर 50 फीसदी की सीलिंग' को सविधान की व्याख्या के न्यायिक आलोक में देखा जा सकता है। एक बार जजों ने जब जजों द्वारा बनाए गए उस कानून के अवरोध से बाहर निकलने का फैसला किया, तब आगे का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट था। सभी पांचों सम्माननीय न्यायाधीश इस पर सहमत थे कि आर्थिक न्याय वस्तुतः सामाजिक न्याय के समान ही हैं, और कमज़ोर आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने से सविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता। वे इस पर भी सहमत में एससा, एसटा आर आबासा व गरीबों को शामिल किया जाए या नहीं। विभाजित अदालत पोषण लालन-पालन और शुरुआती शिक्षा में कमी का मुख्य कारण गरीब है। ये कमियां विचित रूप के युगांडा की शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित कर देती हैं या रोज़ देती हैं। सगल यह है कि गरीब कौन है। 103 वें सविधान संसोधन ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है कि वे 'पारिवारिक आय और आर्थिक कमियों के दूसरे संकेतकों के आधार पर गरीबों की शिनान करें। जिन दो न्यायाधीशों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया, उन्होंने अपनी टिप्पणी :

# साहित्यिक उत्सवों और दलित विमर्श के बीच ख्याति पाते लेखनी के महारथी

के धर्मातरण आंदोलन में शरीक होने वाली अनेक महिलाओं ने आत्मकथाएं लिखीं और अपने खर्च से प्रकाशित कर अपने इससे इतर हाल के महीनों में संपन्न हुए हिंदी प्रख्याता से लेकर साहित्य अकादमी का शिमला साहित्य उत्सव, ज़ांसी में बुंदेलखण्ड तो 20वीं सदी के अंतिम दशक में मंदिर-मंडल का मृदा बेहद गर्म हो रहा था। डॉ. आंबेडकर के जन्म का शताब्दी वर्ष आ गया था।

रखने वाली कुछ सुविधाभोगी  
लेखिकाएं विरोध में आईं। प्रश्न  
उठने लगा कि देश, काल,  
परिस्थितियां संपूर्ण साहित्यिक

भावी पीढ़ियों को अग्रसारित करने के उद्देश्य से आत्मकथाएं लिखना और अपने खर्च से प्रकाशित करने अपने इतिहास बनाना।

यथार्थपरक सत्य हो, तो अलग भाषा भी बाधा नहीं बनती। तमिल



इतिहास का दस्तावेजीकरण कराया। उनमें बड़ी संख्या उन लेखिकाओं की थी, जिन्होंने पफली बार कलम पकड़ी थी। भारतीय भाषायां लेखन में हिंदी की सृजनात्मकता पर हो रहा मंथन अभूतपूर्व है। संभवतः लबे समय तक कारोना महामारी के कारण दैर्घ्य के दूरियों की मजबूतियों से कलम का कर्तव्य प्रदर्शित नहीं हो पा रहा था। इसी महीने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेमिनार में 'स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण में हिंदी भाषा और साहित्य की भूमिका' पर हुए विमर्श को पुराने प्रश्नों का नया जवाब कहा जा सकता है।

लिटरेरी फेस्टिवल और इसी महीने मध्य प्रदेश में होने जा रहे 'भोपाल साहित्य उत्सव' के बीच पिछे महीने दिल्ली में संपन्न हुए 'राजेश यादव स्मृति समारोह' के तौर पर हंस का 'साहित्यउत्सव' विविध की दृष्टि से खास था। वर्ष 1988 से हंस का जब पुनः प्रकाशन शुरू हुआ, तब लगभग आधा दशावधि तक इसमें दलित विमर्श को जगाने नहीं दी गई थी। फिर नब्बे दशक में एकाएक ऐसा क्या हुआ था, जिससे संपादक को विविध आकर्षित करने लगी हाशिये पढ़ पड़े विमर्शों को केंद्र में लाने वाले इच्छा बलवती होने लगी देश काल, परिस्थिति पर गौर कर-

ने बसपा के बढ़ते प्रभाव को लगाम  
लगाने के लिए वीपी सिंह ने मंडल  
कमीशन लागू कर दिया था। डॉ.  
आंबेडकर को मरणोपरांत 'भारत  
रत्न' दिया गया था। महाराष्ट्र  
सरकार ने केंद्र सरकार के साथ  
मिलकर डॉ. आंबेडकर के अंग्रेजी  
लेखन को दर्जन भर खंडों में  
प्रकाशित कर दिया था। हिंदी के  
दलित लेखकों का रचनात्मक  
साहित्य का दबाव बनने लगा था।  
वैसे में हंस के संपादक को लगा  
था कि साहित्य मंच पर भी दलितों  
का बहिष्कार रुकना चाहिए। ऐसे  
ही, स्त्री विमर्श में जब वंचित-  
दलित स्त्री के विमर्श की बात हुई,  
तो तथाकथित कुलीनता का आग्रह

पत्रकारिता के लिए एक जैसी थी, तो इससे इतर पत्रिकाओं में हाशिये के लेखन को केंद्र में लाने की आवश्यकता व्यापे अनुभव नहीं हुई याद रखना चाहिए कि, प्रकाशित न होने की स्थिति में लेखन मर जाता है। पठनीय न बन पाने या बहुसंख्य पाठकों तक संप्रेषित न हो पाने पर भी उसका कोई भविष्य नहीं होता। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उपेक्षित समाजों की स्त्रियों ने अपने रचनात्मक अस्तित्व की रक्षा के लिए काफी संघर्ष किए हैं। मराठी में डॉ. आंबेडकर के धर्मात्मण आंदोलन में शरीक होने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव अपनी दस्तावेजीकरण कराया। उनमें बड़ी संख्या उन लेखिकाओं की थीं, जिन्होंने पहली बार कलम पकड़ी थीं और जिनके पास लेखन की कोई विरासत व कोई संस्कार नहीं था। एक शोध के अनुसार, यह संख्या दो सौ से ढाई सौ आत्मकथाओं के बीच थी। पर उन्हीं में से बेटी कांबले की जीवन हमारा, कौशलत्या बैंसंत्री की दोहरा अभिशाप और उर्मिला पवार की आयदान जैसी आत्मकथाएं प्रकाश में आईं। मराठी में शांतार्बाई कृष्णाजी कांबले की आत्मकथा माज्या जल्माची चित्तरकथा को सर्वाधिक ख्याति मिली। बीती सदी के आठवें दशक में ही इसके अंग्रेजी, फ्रेंच और कन्द्र निराशा की कोई वजह नहीं है।



